कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

आदेश फलक

देखें अभिलेख हस्तक 1944 के नियम

वाद संख्या :– 09 /2020-21

वाद का प्रकार :– भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव अभिलेख।

आदेश का क्रमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर ग कार्रवाई के टिप्पणी आदे
21/8/2020	उपायुक्त,खूँटी के पत्रांक 528/रा0,दिनांक–21.08.2020 एवं सरकार के संयुक्त सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1945/रा0, दिनांक – 05/08/2020 के आलोक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि मौजा सारदकेल, थाना संख्या–09 खाता संख्या–87 प्लॉट सं0– 544, रकबा –15 ए0 किस्म–गैरमजरूआ खास टोंगरी का हस्तांतरण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग को किया जाना है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अचंल निरीक्षक उक्त भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें तथा आम सूचना निर्गत करें। 21/8/20 अंचल अधिकारी, तोरपा।	
24/8/2020	अभिलेख उपस्थापित, संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अचंल निरीक्षक से मौजा सारदकेल, थाना संख्या–09, खाता संख्या–87, प्लॉट सं0–544, कुल रकबा–29.10 ए0 मधे रकबा 15 एकड़ किस्म–गैरमजरूआ खास टोंगरी भूमि का विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन 1. सर्वे खतियान की नकल 2. चेक स्लीप 3. 16 सूत्री प्रश्नावली 4.ट्रेश नक्शा तीन प्रति में 5. बंदोबस्ती प्रस्ताव 3 प्रति उपस्थापित करें। 24/8/2020 अंचल अधिकारी, तोरपा।	

Scanned with CamScanner

16/9/2020

अभिलेख उपस्थापित,

निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। खेदु महतो पिता– लखिंया महतो, शैलवाहन महतो वो रैनु महतो पिता– छेदी महतो द्वारा प्लॉट सं0 544 अंतर्गत 1.20 ए0 का दावा प्रस्तुत किया गया तथा दावे के समर्थन में रजिस्ट्री पट्टा (प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया जिसे नियमानुसार सही नही पाया गया। इसी प्रकार सोहर महतो ने प्लॉट सं0 544 अंतर्गत 3.50 ए0 भूमि का दावा किया तथा इस संदर्भ में वर्ष 1952 का सादा हुकुमनामा (प्रति संलग्न) एवं लगान रसीद प्रस्तुत किया जिसे नियमानुसार सही नही पाया गया । वान महतो पिता– हरखु महतो ने प्लॉट सं0 544 अंतर्गत 10.13 ए0 का दावा किया तथा दावे के समर्थन में वर्ष 1952 का सादा हुकुमनामा (प्रति संलग्न) एवं वर्ष 1944 का रजिस्ट्री पट्टा (प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया। वर्ष 01.01.1946 के बाद के हुकुमनामा की मान्यता नही होने के कारण श्री वान महतो के 7.50 ए0 के दावे को भी स्वीकार नही किया जा सकता है। इस प्रकार प्लॉट सं0 544 के रकबा 29.10 ए0 में से पूर्व में SIRB बटालियन खूँटी को हस्तांतरित 5.00 ए0 के अतिरिक्त शेष बचे 24.10 ए0 में से 15.00 ए0 भूमि पर एकलव्य आवासीय विद्यालय निर्माण के प्रस्ताव पर 2.63 ए0 के अतिरिक्त अन्य किसी भी दावे को नियमानुसार को सही नही पाया गया। अतः मौजा सारदकेल, थाना संख्या–09, खाता संख्या–87, प्लॉट सं0–544, रकबा–15 ए0 किस्म–गैरमजरूआ खास टोंगरी भूमि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण की अनुशंसा संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा की गयी है।

प्रस्तावित भूमि का स्थानीय बिक्री दर एवं सलामी निम्न प्रकार उपलब्ध कराया गया है:–

क्र	मौजा	रकबा (ए0में)	बिक्री दर प्रति एकड़	सलामी भूमि का मूल्य	लीज रेंट भूमि का 5%	पंजीकृत मूल्य लीज रेट का 25 गुणा	सेस,राशि का लगान का 145%	सेस का पूंजीकृत मूल्य,सेस का 25 गुणा	कुल देय राशि (5+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सारदकेल	15	3,36,000.00	50,40,000.00	2,52,000.00	63,00,000.00	3,65,400.00	91,35,000.00	2,04,75000.00

यानि कुल दो करोड़ चार लाख पचहत्तर हजार रूपये होता है। साथ ही राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं0 04/सं0 भू0 नीति–154/2016–5504/रा0,दिनांक 07.10.2016 के द्वारा अंतर विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया गया है। तदनुसार प्रस्तावित भूमि को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग ,झारखण्ड सरकार,राँची को सशुल्क/निःशुल्क हस्तांतरण हेतु अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,खूँटी को भेजे।

16/9/2020
अंचल अधिकारी,
तोरपा।

लेखापित एवं संशोधित

16/9/2020
अंचल अधिकारी,
तोरपा।

Scanned with CamScanner

थाना - तोरपा

थाना नं. - 09

जिला - खूँटी

स्केल एक माइल = 16 इंच

चिन्हित भूमि -

खाता नं.	प्लॉट नं.	रकबा
87	544	15.00 एकड़

चौहद्दी

उत्तर - प्लॉट नं. 573, 576

दक्षिण - प्लॉट नं. 547

पूरब - चिन्हित भूमि का अंश

पश्चिम - चिन्हित भूमि का अंश

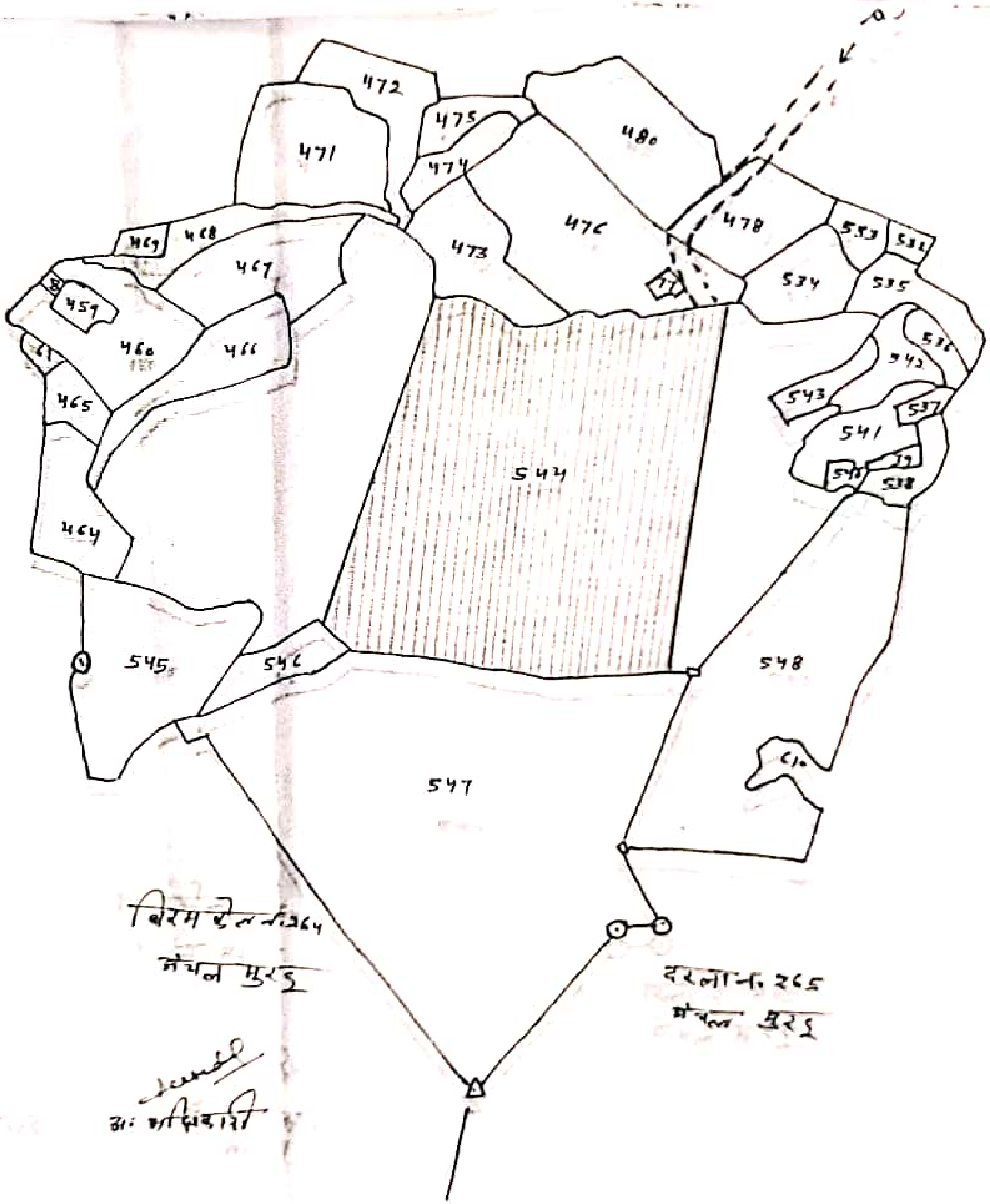

अमीन   राज उप नि.   अं. निरीक्षक   अं. अधिकारी

Scanned with CamScanner

कार्यालय अंचल अधिकारी 283 दिनांक 4/11/20 तोरपा (खूँटी)

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक :................/रा0 दिनांक :.....................

सेवा में,

महालेखाकार,
हिनु, राँची।

विषय :- जिला–खूँटी, अंचल–तोरपा, मौजा–सारिदकेल, थाना नं0–09, खाता नं0–87, प्लॉट–544, रकबा 15.00 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म टोंगरी भूमि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।

राजस्व 4/11/2020

आदेश

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या– 5504/रा0 दिनांक 07.10.16 में निहित प्रावधान एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक– 186/रा0 दिनांक–28.10.2020 द्वारा भू–हस्तांतरण अभिलेख संख्या–09/2020–21 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिला–खूँटी, अंचल–तोरपा, मौजा–सारिदकेल, थाना नं0–09, खाता नं0–87, प्लॉट–544, रकबा 15.00 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास किस्म टोंगरी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के साथ निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है –

1. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन एक वर्ष तक नहीं किए जाने या आवश्यकता नहीं रहने पर उक्त भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार को वापस हो जायेगी।
2. विषयगत हस्तांतरित भूमि किसी संस्था/कम्पनी/व्यक्ति/कॉरपोरेट सोसाईटी/निजी व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा लीज पर नहीं दी जाएगी।
3. अन्य सभी शर्त खास महल मैनुएल में निहित प्रावधान एवं समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होगी।

ह0/–
उपायुक्त,
खूँटी

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि – आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – संयुक्त सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि -- संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
उपायुक्त,
खूँटी

ज्ञापांक 702/रा0 दिनांक 02/11/2020

प्रतिलिपि – परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी को मूल अभिलेख संख्या–09/2020–21 (तोरपा अंचल) मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि -- अंचल अधिकारी, तोरपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/20

उपायुक्त,
खूँटी

Scanned with CamScanner